मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी, 2022

क्रमांक एफ 1–179/2021/18–1 :: विभागीय आदेश क्र. एफ 1–147/2021/18–1 दिनांक 31.08.2021 द्वारा श्रीमती आरती खेडेकर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का सहायक आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद जोवट जिला अलीराजपुर स्थानांतरण किया गया। उक्त स्थानांतरण के विरूद्व श्रीमती खेडेकर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 19098/2021 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा उक्त याचिका पर दिनांक 16.09.2021 को निर्णय पारित किया गया है, जिसका ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार हैः–

"In the available facts of the case I deem it fit only to direct the petitioner to submit a detailed representation before respondent No. 1 in respect of her transfer order alongwith all requisite documents within a period of seven days from today, if not already submitted. If the said representation is submitted by the petitioner the same shall be decided by respondent No. 1 by passing a speaking and a reasoned order within a period fo fifteen days, from tha date of its receipt. With the aforesaid direction the petition stands disposed of. It is made clear that this court has not given any opinion on merits of the case."

2. उक्त निर्णय के तारतम्य में आवेदिका श्रीमती खेडेकर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सहायक आयुक्त, नगर पालिक निगम इंदौर के पद पर विभिन्न दायित्वों का लेख करते हुये पति श्री राकेश कुमार साल्वी, सहायक आयुक्त, वर्तमान में टैक्स ऑडिट विंग, इंदौर–2 में पदस्थ होकर कार्यरत है, लेख किया है। आवेदिका ने नवीन पदस्थापना स्थल की इंदौर नगरीय क्षेत्र से अत्यंत दूरी होने जिससे कार्य के साथ–साथ पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में कठिनाई की स्थिति निर्मित होने का लेख करते हुये स्थानांतरण निरस्ती का अनुरोध किया है।

3. उक्त संबंध में लेख है कि आवेदिका के पति टैक्स ऑडिट विभाग इंदौर में पदस्थ है। श्रीमती आरती खेडेकर द्वारा दिनांक 14.09.2021 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जोवट जिला अलीराजपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तथा वे सहायक आयुक्त, नगर पालिक निगम इंदौर में विगत 10 वर्षो से कार्यरत थीं। श्रीमती खेडेकर का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण नीति अनुरूप किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन में मात्र अपनी पदस्थापना अवधि के दौरान किये गये कार्यों का उल्लेख किया है, उनके द्वारा अपने स्थानांतरण निरस्ती को लेकर कोई समाधानकारक व मान्य योग्य तर्क प्रस्तुत नहीं किए हैं।

निरंतर.....................2

4. उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के परीक्षणोंपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती आरती खेडेकर के अभ्यावेदन को अमान्य करते हुये मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जोवट जिला अलीराजपुर किया गया स्थानांतरण यथावत रखता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तरूण राठी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ0 कमांक एफ 1–179/2021/18–1 भोपाल,दिनांक 19 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, ... म0प्र0।
5. संबंधित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास ....
6. संबंधित अधिकारी ....।
7. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
8. आर्डर बुक,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग